न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–165/16 (जीसीएमएस नं. 2016/00299)

01. श्री दीनू पुत्र जुहरू जाति मेव, निवासी रहमत नगर तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट,

बनाम

01. साहबुद्दीन पुत्र जुहरू, जाति मेव, निवासी रहमत नगर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
02. श्रीमती असगरी पुत्री श्री जुहरू स्त्री मौज खॉ, जाति मेव निवासी रहमत नगर हाल निवासी आबाद हमीराका, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
03. श्रीमती ,खुर्शीदन पुत्र श्री जुहरू स्त्री मुबीन जाति मेव निवासी रहमत नगर हाल आबाद हमीराका, तहसील जिला जिला अलवर, राजस्थान।
04. मैमुना पुत्र श्री जुहरू पत्नी साहुन निवासी रहमत नगर हाल निवासी हमीराका तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
05. सरीफन पुत्री श्री जुहरू पत्नी दीनू निवासी रहमत नगर हाल निवासी टीकरी तहसील.....जिला..... हरियाणा

––रेस्पोडेन्ट्स

06 श्री जुहरू पुत्र अलु खॉ, जाति मेव (नाम हजफ आदेश दिनांक 30.10.17)
07. श्री परमाल पुत्र जुहरू जाति मेव,
08. श्री हनीफ पुत्र जुहरू, जाति मेव,
09. श्री खुशी मोहम्मद पुत्र जुहरू, जाति मेव,
10. श्री रमजान पुत्र जुहरू, जाति मेव निवासीयान रहमत नगर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
11. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.02.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1229 ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा दिनांक 25.05.2011 को दर्ज किया गया था जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट को थी परन्तु रेस्पोडेन्ट ने महज मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के अन्दर मियाद मानने में कानूनी गलती है जबकि यह कानून का प्रतिपादित सिद्धान्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

है कि अपील प्रस्तुत करने मे हुऐ विलम्ब को प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट करना चाहिये परन्तु रेस्पोडेन्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सन्तुष्ट नही किया एवं गलत तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1229 जुहरू पुत्र अलफ खॉ के रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 04.06.2010 के आधार पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में खोला गया था तथा उक्त दानपत्र की जानकारी भी असल रेस्पोडेन्ट को प्रारम्भ से ही थी एवं तहसीलदार द्वारा विधिवत जॉच करने के बाद ही उक्त नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार किया गया था जो कि एक रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर जिस रजिस्टर्ड दानपत्र को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है, जिससे उपरोक्त दानपत्र अपने आप मे वैध है एवं उसके आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण भी विधिपूर्वक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही किया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होंने आगे कथन किया है कि विवादग्रस्त नामान्तरकरण खोलते समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही था एवं यह विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक होता है जिसमें तहसीलदार तिजारा ने कोई गलती नही की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार को दानपत्र की वैधता जॉच करने हेतु निर्देश दिये है जो कि सरासर गलत है क्योंकि दानपत्र की वैधता की जॉच करने बाबत क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को उपरोक्त दानपत्र को आज तक सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई है जिससे कि उसकी वैधता पर संदेह हो परन्तु न्यायालय ने गलत निर्देशों के साथ अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है एवं अपील अपीलान्ट काबिले मंजूर है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय, जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के दादा अलफ खॉ मेव रहमत नगर तिजारा था और अलु खॉ के तीन लडके जुहरू, नसरू व इसराफ थे, अलफ खॉ की विरासत उसके तीनों पुत्रों के नाम आई और जुहरू का पैतृक सम्पत्ति आराजी वाके ग्राम रहमत नगर व सरेहटा में जो भी उसके हिस्से में 1/3 भाग आई और जुहरू की उम्र करीब 82 साल थी जो जईफुल उम्र, मंद बुद्धि, स्वस्थ्य मस्तिष्क नही था, गंभीर बिमारियों से पीड़ित रहता था व मरणासन्न स्थिति मे था जो होश हवास मे नही रहता था

P.T.O.

अच्छा बुरा का भी इल्म नही था उन्हे, उसके दो पत्नियाँ थी बडी का नाम कल्लो व दूसरी का नजीरी था, कल्लो के जुहरू के नुत्फे से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट पैदा हुए व नजीरी के जुहरू के नुत्फे से असल रेस्पोडेन्ट पैदा हुये उन्होने आगे कथन किया है कि जुहरू ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति काफी पूर्व अपने समस्त वारिसान को बांटकर मौके पर कब्जा दे दिया था और काफी अर्से से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ग्राम रहमत नगर व सरेहटा की आराजी पर काबिज काश्त है और लड़कियो ने अपना हिस्सा भी अपने भाई को दे रखा है, जुहरू काफी अर्से विवादित आराजी पर काबिज नही था, भूमि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है, अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 चालक किस्म के लोग है, वे भूमि को हडपने की नियत से उन्होने गलत तरीके पर ग्राम रहमत नगर व सरेहटा की समस्त आराजी को दिनांक 04.06.2010 को दानपत्रों द्वारा दान (हिबा) अपने हक मे तहरीर व तकमील कराकर सब रजिस्ट्रार तिजारा के कार्यालय में पंजीबद्ध करा लिये और जब रेस्पोडेन्ट को मालूम पड़ा तो हिबेनाम (दानपत्र) की नकल प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा में राजस्व वाद पेश किया जिसमें असल रेस्पोडेन्ट को स्थगन आदेश प्राप्त हो गये और हिबानामा के आधार पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सख्या 229 ग्राम रहमत नगर व नामान्तरकरण संख्या 1229 ग्राम सरहटा के दिनांक 08.06.2010 को भरे तस्दीक नही हुऐ, असल रेस्पोडेन्ट को दिनांक 21.06.010 के एकतरफा में स्थगन आदेश प्राप्त हुऐ जिसकी पालना में उक्त नामान्तरकरण नही किये गये और स्थगन आदेश आगामी तारीखों तक जारी रहे, इस बीच में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 ने भू प्रबन्ध अधिकारी/पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर की अदालत में दिनांक 26.10.210 के बउनवान जुहरू वगैरा बनाम साहबुद्दीन वगैरह अपील संख्या 95/10 पेश की, जो दिनांक 21.10.2010 के स्थगन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा के आदेश के विरूद्ध पेश की जो अन्तरिम आदेश की अपील थी जिसको भू प्रबन्ध अधिकारी/पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने दिनाक 19.05.2011 को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 खारिज कर दी और असल रेस्पोडेन्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा की अदालत में पेंडिंग था जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.07.2011 नियत थी और स्थगन आदेश प्रभावी था, तथा पत्रावली संख्या 124/2010 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत उपरोक्त अपील में तलब हुई थी इसलिये स्थगन आदेश दिनांक 03.12.2010 तक जारी रहे, तहसीलदार तिजारा ने पटवारी हल्का की गलत तरीके पर पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1229 ग्राम सरहेटा दिनांक 25.05.2011 को स्वीकार कर दिया इसलिये आज्ञा दिनांक 25.05.2011 तहत न्यायालय तहसीलदार तिजारा गलत तरीके पर पारित की जो खिलाफ कानून खिलाफ मौका व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय ही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत रूप से सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1229 खातेदार जुहरू के दानपत्र के आधार पर स्वीकार किये गया है जबकि रेस्पोडेन्ट का मूल रूप से कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसके सम्बन्ध में दानपत्र करने का अधिकार जुहरू को नही था तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत दस्तावेजात इत्यादि भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी जुहरू की स्वअर्जित साबित होती हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड योग्य ही था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रकरण तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड ही किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण में जॉच कर वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावेंगी। ऐसे समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 विधि सम्मत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2012 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0सुमित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।